21-6-18

वकुलाये फरीकैन उपस्थित । बहस वकील उभयपक्षों को सुनी गई ।

बहस प्रार्थना पत्र आदेश-41 नियम-27 सीपीसी पर सुनी गई । अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के साथ तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी सीकर श्री बनवारीलाल बासनीवाल के विरुद्ध [illegible] ब्योरा में दर्ज रिपोर्ट की फोटो प्रति पेश की है । इस प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षों की सुनी गई । प्रार्थना पत्र एवं बहस पर मनन किया गया । प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज से अपील के न्याय निर्णय में कोई सहायता नहीं मिलती है । अतः प्रस्तुत दस्तावेज को रेकार्ड पर लिया जाना उचित नहीं । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम-27 सीपीसी खारिज किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज वापस लौटाया जावे ।

प्रार्थना पत्र के बाद उभयपक्षों की बहस अपील पर अन्तिम रूप से सुनी गई ।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं0-1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के समक्ष ख0नं03 व ख0नं0 4 व 5 में हिस्सा 1/2 में आने जाने के रास्ते का पेश किया। जिसमें इस खेत में आने जाने के रास्ते को लूणसिंह ने बन्द कर दिया । जिस पर सुनवाई करते हुये मौका की रिपोर्ट लेकर रेस्पोडेन्ट संख्या-2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को उसके खेत में आने जाने के लिये 12 फीट का रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये । जिसके विरुद्ध अपीलान्ट लूणसिंह ने विद्वान जिला कलेक्टर सीकर के यहां अपील पेश की जिस पर सुनवाई करते हुये प्र करण को उप खण्ड अधिकारी सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह पक्षकारान को साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर देकर विधि संगत निर्णय पारित करें ।प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर दिनांक 15-4-2013 को दर्ज कर पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 22-4-13 को अपीलान्ट

लूणसिंह - रामा देवी 60/2013

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ... राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24-4-13 तारीख पेशी नियत कर दी । दिनांक 24-4-13 को रमादेवी के वकील की बहस सुनकर दि0 25-4-13 को नियत कर दी । अर्थात अदालत मातहत ने दिनांक 15-4-13 को प्रकरण दर्ज कर 25-4-14 को को यानि 10 दिन मे ही निर्णय पारित कर दिया जबकि कानूनन चस्पांदगी से तामिल होती है तो उसके विरूद्व एक्स पार्टी करने के लिये 30 दिन का इन्तजार किया जाना चाहिये । किन्तु अदालत मातहत ने चस्पांदगी के आदेश के 4 दिन बाद ही आदेश पारित कर दिया जबकि विद्वान जिला कलेक्टर सीकर ने अपने आदेश मे पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर आदेश पारित करने के आदेश दिये गये है । अदालत मातहत ने विद्वान जिला कलेक्टर सीकर के निर्णय में दिये गये निर्देशों की पालना न कर आदेश पारित किया है जिसको हम यथावत रखा जाना उचित नही मानते है ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत उप खण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय दिनांक 25-4-2013 को खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं । कि वह प्रकरण मे विद्वान जिला कलेक्टर सीकर केनिर्णय दिनांक 4-4-2013 के निर्देशों की पालना करते हुये पक्षकारों को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर अपना निर्णय पुनः विधिसंगत पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 31-7-2018 को उपस्थित होवे । इस अपील से सम्बन्धित एक अपील राजेन्द्रसिंह बनाम रामादेवी भी आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ पेश नहीं गई थी जिसे दर्ज नहीं किया गया था उस अपील का निर्णय भी इसी अनुसार किया जाता है ।

निर्णय सुनाया गया ।

21/6/18

(सदस्य)
राजस्व मण्डल एवं
भू-प्रबन्ध अधिकारी